

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>दावा शेराने/जगदप सिंह हुक्म या कार्यवाही नय लघुहस्ताक्षर जज मोन 0 110/2018</p>	<p>नम्बर या अहकाम हुक्म की में जारी</p>
<p>27-12-18</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकलाय फारि उप./अनुपस्थित। पीठाधीन अधिकार द्वारे/अन्य कार्य में व्यस्त/प्रीतिग हैं हैं। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 3-1-19... को पेश है। Vimly</p>	
<p>3-1-19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकलाय फारि उप./अनुपस्थित। पीठाधीन अधिकार द्वारे/अन्य कार्य में व्यस्त/प्रीतिग हैं हैं। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 4-1-19... को पेश है। Vimly</p>	
<p>3-1-19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। उममपक्षकारान उमसिधारा पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्तो पेश होने जवाब प्रा.पत्र दिनांक 4-1-19 को पेश है। 9</p>	
<p>4-1-19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकलाय फारि उप./अनुपस्थित। पीठाधीन अधिकार द्वारे/अन्य कार्य में व्यस्त/प्रीतिग हैं हैं। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 7-1-19... को पेश है। Vimly</p>	
<p>7-1-19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकलाय फारि उप./अनुपस्थित। पीठाधीन अधिकार द्वारे/अन्य कार्य में व्यस्त/प्रीतिग हैं हैं। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 8-1-19... को पेश है। Vimly</p>	
<p>08-1-19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। उममपक्षकारान उमसिधारा अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली दिनांक 8-1-19... को पेश है। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज 20/11/2018 मुं. नं. 110/2018	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुये
	<p>151 CPC का प्रस्तुत विषय तथा उक्त पक्षों के बीच के बहस सुनी गयी जो कि अनुमत्त पत्रावली का विवेक एवं निर्णय निम्न प्रकार है -</p> <p>वज्रगंजिंद पुर मुगलगंजिंद गाविस राजपुर निवासी लक्ष्मी शीतलगंजिंद लखनपुरा का नाम मुगलगंजिंद पुर वज्रगंजिंद राजपुर गाविस मुगलपुरा से कोरत विचाराधीन 915 110/2018 कोर्ट हाई निषेधाज्ञा व कोरकारा भी एकत्रित पत्र आदेश द्वारा 151 CPC के प्रस्तुत विषय गाविस मुगलपुरा के प्लॉट नं. 183 रकबा 0.01 हेक्टर. प्लॉट नं. 184 रकबा 0.66 है लखनपुरा मुगलपुरा प्लॉट सोनपुरा तैयार व वज्रगंजिंद पुरा प्लॉट नं. 106 रकबा 0.67 लक्ष्मी जातेदारी का रिकार्ड व डकियारी नं. 183 के प्लॉट मालगंजिंद पुरा शीतलगंजिंद राजपुर निवासी मुगलपुरा के नाम दर्ज है। उन्हीने गाविस विज्ञापन विज्ञापन दिनांक 20-1-2002 की प्राप्ति (कृपया) वज्रगंजिंद पुर मुगलगंजिंद निवासी मुगलपुरा के विक्रय कर दी थी परन्तु उक्त का नामांतरण राजस्व रिकार्ड में अमलदाफ नहीं हुआ।</p> <p>उक्त विवेक की जानकारी होते हुए भी वज्रगंजिंद शीतलगंजिंद राव-दादगंजिंद पुर मालगंजिंद व मुगलपुरा गाविस नं. 3 का प्लॉट रमनगंजिंद पुर मालगंजिंद / दुर्गा 40-1 मालगंजिंद उक्त कृपया पक्ष में नाम गाविस दर्ज करवा</p>	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
 श्रीमधोपुर (सीकर)

दाता

तारीख
हुकम

शेरसिंह / जगदल / 14/6

हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
सु. नं. 110/2018

नम्बर व तारीख
अहकाम जो कि
हुकम की कार्रवाई
जारी हुई

22 दूरभाषीय करार करके बाद पर बंद कर
व बाद निवेदाशा के द्वारा किया र माप की
आप्ताई निवेदाशा का प्रार्थना पर भी पर
बिना जॉ कायूनन चलने योग्य नहीं है।

बाद में गरीबप द्वारा के द्वारा बाद र आप्ताई
निवेदाशा का प्रार्थना पत्र बिना बिना मोरन
स्टेण्डर्ड र प्रार्थ व उपयुक्त शक्ति व वरजकारन
में मजादमहकम केरा करने एं प्रार्थ रं एव
अधिकारों व बिना बादमप में निवेदाशा की
कारन आप्ताई निवेदाशा के बिना जॉ
मिबिलि प्रार्थना संहीता व आवधानों व रदर
उपम डुठमा जारिज योग्य है।

जकाद प्रार्थना पर में प्रार्थ शी फिंड वी ओर
प्रार्थना पर विन्धि विरुद्ध न करे डोर एन्डी गाम
व 151 CPC केरा करने का मोरन स्टेण्डर्ड नहीं
होने में जारिज योग्य है।

प्रार्थनापर जकाद प्रार्थना पर व अदल अनुकूल
बाद 110/2018 शेरसिंह गौड़ नाम जगदल फिंड
गौड़ अनन्तिकाफमा व स्थाई निवेदाशा
प. नं. 183 रदका 0.01 है गौ. मु. याई एं
प. नं. 184 रदका 0.66 है चाही निवेदाशा
कौडी 152 तथा उतिवारी 153 तथा 154 में
15- 15- फि. फि. के होरा- हपल माल फिंड
के वारीगत है।

जकादि माल फिंड पर शी गौड़ गौड़
गाम गुजलपुर रदके 21 वं 106 रदका 0.67 है।

सहायक (सीकर)
श्रीमधोपुर (सीकर)

दावा

शेरा सिंह v/s जगदुपारी

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

मुं० नं० 110/2018

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालिम में
जारी हुये

कांग्रेसिंट पुन मुगलदिह राजपुर किामी

मुगलपुरा से बेचान करना 30.10.2002
उपरोक्त निकायाना में यहा निर्धारित
राजदेज केनामा है 1-पण्ड है 1

इसके 1-पण्ड है कि उक्त निकायाना
पूर्व में होने के कारण विरासत के काडी नं० 152
तथा उम्रिदा नं० 1 व 3 के नाम गणना निकाय के
1/5-1/5 हिस्सा उत्त रिवाइ हुका एवं दुस्मि
केधि है वह अंतरा व मायी निषेधाशा
का करना उकर है । आपने इनके मधुपरी
के कामों RRT 2010 (1) पेज नं० 124

RRT 2016 (1) पेज नं० 352 व DNT 2003
(1) S.C. P.No. 107, RRT 2018 (1) पेज 534

के सहमत होने हुए अंतरा व अकतकरहेतु
न बनने के कारण पत्र सीकर विषा जा रहा है
एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद 110/2018 वाद
नका-मा क स्याइ निषेधाशा कारिग विषा जा रहे है

पत्रावली केमलेशुमा होकर नम्बर के वम
की गारर शाकिल 4422 रहे । निर्दिष्ट अका
दिनांक 10.1.19 से सरेशुमा मुगलदिह ।

७/११

(बा.द.लामा) (र)
सहायक कलक्टर (फास्ट रेक)
श्रीमधीपुर (सीकर)
30/11/2018 श्रीकर